

आज दिनांक 18/8/15 को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंवरगढ से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंखा की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	सामनार नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

उपखंड अधिकारी  
रणवासी/किशनगंज

किशनगंज/केलवाडा/भंवरगढ/नाहरगढ

पंचायत समिति किशनगंज

विकास अधिकारी

ग्राम सभा की बैठक में वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क  
भंगरगढ़ से रजवासी..... के लिए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम स्तरीय  
समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है ।  
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी  
( वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम , 2006 की धारा 3(2)  
के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर  
कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को  
उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है

आज दिनांक 28.01.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंगराव से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ...का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंण की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक ... पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

*Kejendra Sodhi*  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत खाखरा

*Basu*  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत खाखरा

*(Signature)*  
 ग्राम सचिव/ग्राम वंचायत  
 (Panch) ग्राम पंचायत खाखरा  
 पंचायत समिति, खाखरा

आज दिनांक 20.07.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भंवरगढ से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ..... का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे बंघित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है । उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक .../पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

Rejendra Sodhi  
संस्थापक  
ग्राम पंचायत खाखरा  
पंचायत समिति किशनगंज

हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर उत्तरवासी  
पटवार भूखंडी  
सह. किशनगंज (बारा)

ग्राम सचिव, पटवार सचिव  
सचिव ग्राम पंचायत  
सं. किशनगंज (बारा)  
ग्राम पंचायत खाखरा  
पंचायत समिति किशनगंज

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति (व्यवहार)

पंचायत समिति किशनगंज

जिला बारा

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20-7-15	आलय	श्री प्रमिला देवी	श्री प्रमिला देवी, श्री प्रमिला देवी, श्री प्रमिला देवी	आज दिनांक 20-7-2015 को पंचायत बैठक का आयोजन श्री प्रमिला देवी सरपंच प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस में सर्व-प्रथम गत बैठक कार्यवाही को उपस्थित करेण पर को सुनाया जिसमें पूर्णतः उपस्थित करेण सर्व सम्मति से करे। इस के बाद प्रथम को कार्य-वाही-आगत में गरी गरी जो कि निम्नानुसार है।	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव नं० 1:- उ.प. नैक करले को स्टूडेंट्स के प्रमाणों आग्रज-वार्ड कार्य-वाही शोइ कोरे ने अतः कार्य को आठ-दस दिने पडले उप-समाह्वय कोरे रचारंकरा करे। हमारी आगत-वार्ड कोरे पर जो स्टूडेंट्स समागत पिये है वो खराव दिने को करे व दानते को अहते है लेकिन आगत वक नही व दामप्ये है। सरकार के वैसे को दुःउपयोग हो रह है। खं	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	शरीर के प्राण है। इस को सभी आगत वार्ड कार्य-वाही ने समागत किया। अहते वडा को हेम नये स्टूडेंट्स मिलपाये लाये। खं डामित कार्य-वाही को जावे।	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव नं० 2:- वाड निपन्त्रण के कर में 100 अथि व ने सदन को वतगापा कि अथि कोरे में वार्ड से अह-वाड को समागत आगरी है। व नुरंत को सुचित करे। फिर से वाड को समागत से नुरंत निजात मिले करे।	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	प्रस्ताव संख्या 100 - बैठक में वक सेव थे पडने वाली राशु। भालगा से रावाही के लिए ग्राह-हलाय-को भाल गरीग-समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदित किया जाता है। अनुमति प्रदान करे एवं अन्य परंपरागत वनागरीग (पनाश्रिता) की मान्यता माघिदिप 2006 की धारा 3(2) के एवं दिप 2008 के मंगरी उक्त प्रस्तावित वक में पर कोई पिये लंघित नही है इतना सर्व सम्मति से उक्त सडु को उक्त प्रस्तावित वनागरीग में निर्माण हेतु माश्रिशापा की जावे।	श्री प्रमिला देवी
			श्री प्रमिला देवी	इसके बाद बैठक समाप्तवाक मिलजित हो जाती है।	श्री प्रमिला देवी

**Prajender Soodhi**  
 सरपंच  
 आ. व. कानपुर  
 पंचायत समिति बारा

ग्राम पंचायत  
 पंचायत समिति  
 100 किशनगंज (बारा)